डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई

व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उन0 बुद्धी सिंह बनाम किशन सिंह वगै0

दावा बाबत् 88, 89, 188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 69/2024

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कताई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुददठ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 345 रकबा 0.01, 346 रकवा 1. 14, 347 रकबा 0.84, 348 रकबा 0.75 कुल किता 4 कुल रकवा 2.74 है0 वाके ग्राम अरौदा तहसील नदबई पर वादीगण को उनके मृतक पिता कलुआ के 1/9 हिस्से की आराजी में से प्रत्येक को 1/63 वाहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम चले आ रहे 1/24 वाहिस्सा बराबर के वर्तमान इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर प्रत्येक को 1/36 वाहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के नाम चले आ रहे 1/18 वाहिस्सा बराबर के वर्तमान इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर प्रत्येक को 1/27 वाहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 के पिता व पति के नाम चले आ रहे वर्तमान इन्द्राजात 1/18 हिस्से को कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 को 1/81 वाहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। बैज – गुबलिग – – – – – – बावत – – – – – – – – – –

खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ———————फीसदी सालाना आज की तारीख से तरीख व सुलयाबी तक ———————की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख ......16/06/25...... को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत—— 16/6/25

सहायक कलक्टर

मुद्दई	रुपया	पैसा	मुद्दालय	[illegible]	[illegible]
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:52:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

1. बुद्धीसिंह पुत्र कलुआ जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई भरतपुर।
2. पप्पू पुत्र कलुआ जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरत
3. अशोक पुत्र कलुआ जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई भरतपुर।
4. दिनेश पुत्र कलुआ जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई भरतपुर।
5. द्रोपदी पुत्री कलुआ जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जि भरतपुर।
6. विमलेश पुत्री कलुआ जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जि भरतपुर।
7. अंगूरी पत्नी कलुआ जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिल भरतपुर।

वादीगण

बनाम

1. किशनसिंह पुत्र सूखा जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. ढकेली पत्नी सूखा जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. मुकेश पुत्र सूखा जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. सरदार सिंह पुत्र सूखा जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. महेश पुत्र मानसिंह जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. साहबसिंह पुत्र मानसिंह जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. दीपक पुत्र सुरेश जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. कुलदीप उर्फ विराज जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
9. हेमा पत्नी सुरेश जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
10. राज0 सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।
11. सब रजिस्ट्रार नदबई।
12. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया नदबई जरिए प्रबंधक।
13. बीआरकेजीबी डहरा जरिए प्रबंधक।

असल प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:52:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

14. श्यामसुंदर पुत्र नत्थीसिंह जाति
जिला भरतपुर।

15. समन्दरसिंह पुत्र नत्थीसिंह जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

16. पूरनमल पुत्र नत्थीसिंह जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

17. अमरवती पुत्री विजय जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

18. कल्यानसिंह पुत्र विजय जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

19. कुसुमलता पुत्री विजय जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

20. गब्बरसिंह पुत्र विजय जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

21. गीता पुत्री विजय जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

22. सितारादेवी पत्नी विजय जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

23. समयसिंह पुत्र जवाली जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

तरतीवी प्रतिवादीगण

1/8/25

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:52:43 IST
Reason: SelfAttested

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 69/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/88
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 16.6.25

1. बुद्धीसिंह पुत्र कलुआ जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. पप्पू पुत्र कलुआ जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. अशोक पुत्र कलुआ जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. दिनेश पुत्र कलुआ जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. द्रोपदी पुत्री कलुआ जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. विमलेश पुत्री कलुआ जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. अंगूरी पत्नी कलुआ जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

वादीगण

बनाम

1. किशनसिंह पुत्र सूखा जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. ढकेली पत्नी सूखा जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. मुकेश पुत्र सूखा जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. सरदार सिंह पुत्र सूखा जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. महेश पुत्र मानसिंह जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. साहबसिंह पुत्र मानसिंह जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:52:43 IST
Reason: SelfAttested

16/6/25

Scanned with OKEN Scanner

7. दीपक पुत्र सुरेश जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. कुलदीप उर्फ विराज जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
9. हेमा पत्नी सुरेश जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
10. राज0 सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।
11. सब रजिस्ट्रार नदबई।
12. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया नदबई जरिए प्रबंधक।
13. बीआरकेजीबी डहरा जरिए प्रबंधक। असल प्रतिवादीगण
14. श्यामसुंदर पुत्र नत्थीसिंह जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
15. समन्दरसिंह पुत्र नत्थीसिंह जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
16. पूरनमल पुत्र नत्थीसिंह जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
17. अमरवती पुत्री विजय जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
18. कल्यानसिंह पुत्र विजय जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
19. कुसुमलता पुत्री विजय जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
20. गब्बरसिंह पुत्र विजय जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
21. गीता पुत्री विजय जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
22. सितारादेवी पत्नी विजय जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
23. समयसिंह पुत्र जवाली जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

तरतीवी प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री जगवीर सिंह एड.(वादी की ओर से)

निर्णय

दावा अंतर्गत धारा [illegible] 88 आर.टी.ए.

1. यह कि वादी व प्रतिवादीगण वाद के लिए [illegible] है। दावा लडने योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:52:43 IST
Reason: SelfAttested

16/6/25

Scanned with OKEN Scanner

2. यह कि हाल आराजी खसरा नंबर 345 रकबा 0.01, 346 रकबा 1.14, 347 रकबा 0.84, 348 रकबा 0.75 कुल किता 4 कुल रकबा 2.74 है0 वाके ग्राम अरौदा तहसील नदबई स्थित है। नकल जमाबंदी संवत 2073–2076 वाके ग्राम अरौदा पेश है।

3. यह कि मद संख्या 2 वादपत्र की आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक संपत्ति की आराजी है। सजरा वादपत्र पर अंकित है।

4. यह कि विवादित आराजीयात वर्णित मद संख्या 2 की आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता सूखा, कलुआ व मानसिंह की पैतृक संपत्ति की आराजीयात है। जो कि जरिए विरासत वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल के बाबा रत्ती से प्राप्त हुई है। जमाबंदी संवत 2035 से 2038 तक खाता संख्या 155 में विगत खसरा नंबर 252 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा पर वादीगण के पिता कलुआ व प्रतिवादीगण के पिता सूखा व मानसिंह वाहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। लेकिन जमाबंदी संवत 2039 से 2042 बनाते समय खाता संख्या 164 पर वादीगण के पिता कलुआ का नाम बिना किसी सक्षम अदालत के आदेश के पृथक कर दिया गया व सूखा व मानसिंह प्रतिवादीगण के पिता के नाम वाहिस्सा बराबर गलत इन्द्राजात 1/3 दर्ज रिकॉर्ड कर दिए गए जिसके मुताबिक गलत इन्द्राजात हाल रिकॉर्ड असल प्रतिवादीगण के नाम दर्ज चले आ रहे हैं। जो काबिल कलमजन के है। जिससे वादीगण को हकतलफी है।

5. यह कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को वमुकाम अरौदा पर दिनांक 05.05.2024 को यह एलानियां धमकी दी है कि वह गलत इन्द्राजात के आधार पर विवादित आराजी से वादीगण को बेदखल कर देंगे व कब्जाकाश्त में दखल करेंगे। यदि प्रतिवादीगण अपनी उक्त धमकी में कामयाब हो गए तो वादीगण को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिए नकद से न हो सकेगी। अतः वादीगण प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद करा पाने का अधिकारी है।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः असल प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा शेष तरतीवी प्रतिवादीगण से कोई अनुतोष नहीं चाहने के कारण वादीगण के प्रार्थना पत्र के आधार पर दावा से तर्क किया गया। पत्रावली साक्ष्यवादी पेश करने हेतु नियत की गई।

वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में न[illegible] संवत 2073–76 वाके ग्राम अरौदा प्रदर्श 1, न[illegible] 2060 वाके ग्राम अरौदा प्रदर्श 2, नकल जमाबं[illegible] संवत 2035–38 [illegible] ग्राम अरौदा, नकल जमाबंदी संवत 2039–4[illegible] 4 वाके ग्रा[illegible]रौदा, नकल जमाबंदी संवत 2044–47 प्रदर्श 5 वाके ग्राम अरौदा, नकल भूप्रबंध विभाग प्रदर्श 6,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:52:43 IST
Reason: SelfAttested

16/6/25

Scanned with OKEN Scanner

नकल भूप्रबंध विभाग संवत 2028 प्रदर्श 7 वाके ग्राम अरौदा पेश किए गए। मौखिक साक्ष्य के रूप में दिनेश पुत्र कलुआ जाति चौबदार निवासी अरौदा के शपथ पत्र पेश किए गए। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

हमने वादी के विद्वान अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी। वादी अधिवक्ता के बहस के दौरान कथन रहे कि विवादित आराजी खसरा नंबर 345 रकबा 0.01, 346 रकबा 1.14, 347 रकबा 0.84, 348 रकबा 0.75 कुल किता 4 कुल रकबा 2.74 है0 वाके ग्राम अरौदा पर स्थित है जो कि खसरा नंबर 252 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा से निर्मित है। आराजी खसरा नंबर 252 वाके ग्राम अरौदा की जमाबंदी संवत 2035–38 में सुखा, कलुआ व मानसिंह पुत्र नत्थी हिस्सा 1/3 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड हैं परन्तु नकल जमाबंदी संवत 2039–42 वाके ग्राम अरौदा में वादी कलुआ का नाम दर्ज नहीं किया गया तथा नकल जमाबंदी संवत 2044–47 वाके ग्राम अरौदा में भी वादी कलुआ का नाम जमाबंदी में दर्ज नहीं किया गया जबकि ऐसा करने का कोई सक्षम आदेश भी कभी पारित नहीं हुआ है। अतः वादीगण को उक्त विवादित आराजी में अपने पिता कलुआ के 1/9 हिस्से में वाहिस्सा बराबर 1/63 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा प्रतिवादीगणों के नाम चले आ रहे गलत इन्द्राजात को कलमजन किया जावे।

हमने वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो पाया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 345 रकबा 0.01, 346 रकबा 1.14, 347 रकबा 0.84, 348 रकबा 0.75 कुल किता 4 कुल रकबा 2.74 है0 वाके ग्राम अरौदा तहसील नदबई पर स्थित है। उक्त विवादित आराजी खसरा नंबर नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 प्रदर्श 2 अनुसार खसरा नंबर 252 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम अरौदा से निर्मित हैं। नकल जमाबंदी संवत 2035–38 प्रदर्श 3 में आराजी खसरा नंबर 252 वाके ग्राम अरौदा पर सूखा, कलुआ, मानसिंह पुत्र नत्थी हिस्सा 1/3 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। परन्तु नकल जमाबंदी संवत 2039–42 वाके ग्राम अरौदा प्रदर्श 4 अनुसार उकत आराजी खसरा नंबर 252 वाके ग्राम अरौदा पर कलुआ का नाम दर्ज रिकॉर्ड नहीं है इसी प्रकार नकल जमाबंदी संवत 2044–47 वाके ग्राम अरौदा प्रदर्श 5 में भी वादीगण के पिता कलुआ का नाम दर्ज रिकॉर्ड नहीं है। जबकि प्रदर्श 4 व 5 अनुसार सूखा व मानसिंह पुत्र नत्थी हिस्सा 1/3 दर्ज रिकॉर्ड कर दिया गया। चूंकि प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जा चुकी है जिस कारण प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जा सका जिससे यह सिद्ध होता हो कि जमाबंदी संवत 2039–42 एवं 2044–47 वाके ग्राम अरौदा में वादीगण के पिता का नाम किसी सक्षम आदेश के तहत पृथक किया गया है। अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:52:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

::आदेश::

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 345 रकबा 0.01, 346 रकबा 1.14, 347 रकबा 0.84, 348 रकबा 0.75 कुल किता 4 कुल रकबा 2.74 है0 वाके ग्राम अरौदा तहसील नदबई पर वादीगण को उनके मृतक पिता कलुआ के 1/9 हिस्से की आराजी में से प्रत्येक को 1/63 वाहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम चले आ रहे 1/24 वाहिस्सा बराबर के वर्तमान इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर प्रत्येक को 1/36 वाहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के नाम चले आ रहे 1/18 वाहिस्सा बराबर के वर्तमान इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर प्रत्येक को 1/27 वाहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 के पिता व पति के नाम चले आ रहे वर्तमान इन्द्राजात 1/18 हिस्से को कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 को 1/81 वाहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्वं रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.6.25 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं ... नदबई (भरतपुर) राज.
सत्यमेव जयते

16/6/25
गंगाधर मीना (R.A.S.)
सहायक कलक्टर नदबई
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:52:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner